श्री सुनील कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1174 (लघु–27)का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सुनील कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1174 (लघु–27)	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
(क) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राजकीय नलकूप चालू है, परंतु नाला का निर्माण नहीं होने से सिंचाई कार्य बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभाग द्वारा अब नलकूप पर नाला निर्माण कराने का प्रस्ताव नहीं है। नलकूप मरम्मति एवं संचालन का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है यदि ग्राम पंचायत चाहे तो मनरेगा के माध्यम से नाला निर्माण करा सकती है।
(ख) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त राजकीय नलकूपों पर नाला निमार्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	खण्ड (क) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0–47/19 1409 /पटना, दिनांकः–19-02-19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–458 दिनांक–12.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1409 /पटना, दिनांकः– 19-02-19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग,पटना/ विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.19
सरकार के उप सचिव

e:\r.r.k-2019\bidhan sabha 2019\ta-1174.docx

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम माननीय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–939 (लघु–20) का उत्तरः–

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम माननीय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–939 (लघु–20) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
1. क्या यह बात सही है कि बांका जिला के बौसी प्रखंड के अंगारू धनड़ा पंचायत के पिलवा ग्राम में डैनी घाट पर छिलका एवं गाईड वॉल का निर्माण नहीं होने से 5 (पाँच) हजार एकड़ भूमि असिंचित रह जा रही है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर छिलका एवं गाईड वाल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा। सर्वेक्षणोंपरान्त योजना तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर विहित प्रक्रिया अपनाकर निर्माण का कार्य कराया जायगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–प्र०–04 / ल०ज०सं० / वि०स० / तारा–36 / 19 1403 /पटना, दिनांक–19-02-19

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, को उनके पत्रांक–381 दिनांक–06.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1403 /पटना, दिनांक–19-02-19

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में)/उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल०ज०स० विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

d:\assembley-\bidhan sabha-ta-11-02-19\ta-939.docx

श्री जनार्दन मांझी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—882 (लघु—18) का उत्तर प्रतिवेदनः—

श्री जनार्दन मांझी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—882 (लघु—18) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत शम्भूगंज प्रखंड के परमानन्दपुर पंचायत के तलिया बांध एवं धरसण्डा बांध का जीर्णोद्धार नहीं होने से सम्पूर्ण पंचायत सूखाग्रस्त हो गया है;	आंशिका स्वीकारात्मक। धरसण्डा बांध में पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के द्वारा कार्य कराया गया है।
(ख) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बांधों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जायेगा। तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर विहित प्रक्रिया के तहत जीर्णोद्धार की अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांकः—प्र0—04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0—29 / 19 / पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक—354 दिनांक—05.02.19 के क्रम में (पॉच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /—
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः— 1405 / पटना, दिनांकः— 19-02-19

प्रतिलिपिः—संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग,पटना / विभागीय प्रशाखा—04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

c:\users\admin\desktop\bidhan sabha\mir--02--------.docx

अता० हमोड – 746

श्री राज किशोर सिंह माननीय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–711 (लघु–15) का उत्तरः–

श्री राज किशोर सिंह माननीय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–711 (लघु–15) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
1. क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के भागवतपुर पंचायत के भागवतपुर ग्राम में जतकौली घाट के निकट 25 वर्ष पूर्व निर्मित राजकीय नलकूप अबतक चालू नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड अन्तर्गत भागवतपुर पंचायत के भागवतपुर ग्राम में जतकौली घाट के निकट राजकीय नलकूप नहीं बल्कि उद्वह सिंचाई योजना हैं। योजना पर वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिर्णोद्धार कार्य कराया गया था।
2. यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	नदी में पानी नहीं रहने के कारण योजना को चालू कराना संभव नहीं हैं क्योंकि उद्वह सिंचाई योजना का जल स्त्रोत नदी का पानी होता है।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा–30/19 1507 /पटना, दिनांक–19-02-19

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, को उनके पत्रांक–351 दिनांक–05.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.19

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1507 /पटना, दिनांक–19-02-19

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में)/उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19

सरकार के उप सचिव

d:\assembley-\bidhan sabha-ta-11-02-19\ta-711.docx

श्रीमती भागीरथी देवी, माननीय, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–662 (लघु–13) का उत्तरः–

श्रीमती भागीरथी देवी, मा0,स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–662 (लघु–13)	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1. क्या यह बात सही है कि पं0 चम्पारण जिलान्तर्गत गौनाहा में सवेराहा नाला जंगल की पहाड़ी से निकलकर लछनौता तक जाती है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त नाला पर चेक डैम नहीं होने के कारण तुरकौलिया, मेहनौल के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है जिससे किसानों को सिंचाई मे कठिनाई हो रही है ;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक सवेराहा नाला पर चेक डैम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	तुरकौलिया वीयर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चूकी है। निविदा की प्रक्रिया की गयी है। निविदा निष्पादन के पश्चात् इसका कार्य करा लिया जायगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/तारा–28/19 1410 /पटना, दिनांक– 19-02-19

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, को उनके पत्रांक–349 दिनांक–05.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad
19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1410 /पटना, दिनांक– 19-2-19

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में)/उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग, पटना/विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad
19.2.19
सरकार के उप सचिव

d:\assembley-\bidhan sabha-ta-11-02-19\ta-662.docx

श्री अशोक कुमार सिंह, माननीय, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–338 (लघु–09) का उत्तर:–

श्री अशोक कुमार सिंह, मा0,स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–338 (लघु–09) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर:–
1. क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड में सोनदाहा जलाशय की निविदा लगभग आठ माह पूर्व निकाली गई थी परन्तु निविदा का निष्पादन होने के बावजूद अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि योजना का कार्यान्वयन नहीं होने से आमस प्रखंड के पाँच पंचायतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पर रही है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना का कार्यान्वयन कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों?	उक्त योजना का एकरारनामा हो चूका है। उक्त योजना में **N.P.V (Net Present value)** की राशि तथा वृक्षारोपण की राशि कुल 41.268 लाख मात्र वन विभाग को भुगतान किया गया है। एन0 ओ0 सी0 (**N.O.C**) प्राप्त करने हेतु संबंधित पदाधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्प)–सह–नोडल पदाधिकारी (वनसंरक्षण) बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है। **NOC** प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारा–21 / 19 1408 / पटना, दिनांक– 19-02-19

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, को उनके पत्रांक–282 दिनांक–01.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 1408 / पटना, दिनांक– 19-02-19

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

d:\assembley-\bidhan sabha-ta-11-02-19\prmod ji\ta-383.docx

263

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां–48 / 19 1378 / पटना, दिनांक– 18/02/19

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,

सेवा में,

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग,
पटना।

विषयः– श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1178 (लघु–28) के हस्तान्तरण के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा का पत्रांक–459 दिनांक–12.02.19

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल छपरा के पत्रांक–318 दिनांक–13.02.19 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित प्रश्न में अंकित योजना का संबंध जल संसाधन विभाग से है।

अतः बिहार विधान सभा का प्रासंगिक पत्र तथा प्रश्न की ऑनलाईन प्रति मूल में पत्र के साथ संलग्न करते हुए जल ससांधन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है।

इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Prasad
17.02.19

(सुरेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक– 1378 पटना,दिनांक– 18/02/19

प्रतिलिपि– संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad
17.02.19

सरकार के उप सचिव

d:\pk-\assembley - 23-11-2018\prasakha-04---23-11-18\ytnesh jee\vi s- tara--82-17.docx

श्रीमती कुंती देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–620 (लघु–24) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्रीमती कुंती देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–620 (लघु–24) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि गया जिला के खिजरसराय प्रखंड में तिवारी विगहा पथ के रौनिया पैन में एवं नीमचक बथानी प्रखंड के नैली पैन में आर0सी0सी पुल नहीं है;	स्वीकारात्मक
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर आर0सी0सी0 पुल नहीं रहने के कारण ग्राम वासियों को वर्षात के मौसम में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक
(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	रौनिया पईन सिंचाई योजना निविदा प्रक्रिया में है। निविदा निष्पादन के उपरांत उक्त स्थल पर आर0सी0सी0 कल्वर्ट का निर्माण कराया जायगा। नीमचक बथानी प्रखंड के नैली पईन में आर0सी0सी0 कल्वर्ट बनाने संबंधित स्थल की जानकारी प्राप्त की जायगी तथा सर्वेक्षण कराया जायगा। सर्वेक्षणोपरान्त तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर विहित प्रक्रिया के तहत कल्वर्ट निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–44 / 19 1411 / पटना, दिनांकः–19-02-19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–455 दिनांक–12.02.19 के क्रम में (पॉच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1411 / पटना, दिनांकः– 19-02-19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग,पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

श्री चंद्रसेन प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1164 (लघु–25) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री चंद्रसेन प्रसाद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1164 (लघु–25) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखंड में जैतीया नदी के वियर छिलका से अकुरीग्राम होते हुए सेरथुआ, माधोपुर, पतिबिगहा तक की आहार पैन की खुदाई नहीं होने से पचलोवा एवं चंधारी पंचायतों के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुँच पाता है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ, तो सरकार उक्त पैन की खुदाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इस्लामपुर प्रखण्ड में जैतिया नदी के वियर छिलका से अंकुरी ग्राम होते हुए सेरथुआ, माधोपुर, पतिविगहा तक की आहर–पईन की सर्वेक्षण किया गया है। शीघ्र ही विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर विहित प्रक्रिया के तहत जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–46 / 19 1406 / पटना, दिनांकः– 19-02-19

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–456 दिनांक–12.02.19 के क्रम में (पॉच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1406 / पटना, दिनांकः– 19-02-19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग, पटना / विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19
सरकार के उप सचिव

श्री राम विलाश पासवान, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1169 (लघु–26) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री राम विलाश पासवान, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1169 (लघु–26) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तर।
(क) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव प्रखंड में कैरिया, लगमा, वंशीपुर होते हुए कहलगाँव गंगा किनारे तक कोआ नदी में आहार पैन तथा निकटवर्ती गाँव के पास स्लुईस गेट (छिटका) नहीं है, जिससे वहां के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर कैनाल, आहार पैन की खुदाई एवं छिटाक का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में नदी का बेड लेबल जमीन के तल से लगभग 18 फीट नीचे है। नदी में पक्का संरचना बनाकर पटवन हेतु उपयोगी बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षणोंपरान्त योजना तकनीकी रूप से संभाव्य पाये जाने पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–04 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–45 / 19 / पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–457 दिनांक–12.02.19 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1404 / पटना, दिनांकः– 19-02-19

प्रतिलिपिः–संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/उप सचिव (श्रीमती सिंह) ल0ज0स0 विभाग,पटना/ विभागीय प्रशाखा–04 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Prasad 19.2.19

सरकार के उप सचिव

e:\r.r.k-2019\bidhan sabha 2019\ta-1169.docx